उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – ......21....../2016

धानेश्वर प्रसाद मेहता बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
18-06-2016	अपीलार्थी धानेश्वर प्रसाद मेहता पिता स्व0 रामलाल महतो निवास स्थान दरिया, पो0 रतनपुर, थाना ईचाक, जिला हजारीबाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या– 65 / 2013 में दिनांक 23 / 01 / 2016 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(A) के तहत् अपील दायर किया गया है। आवेदन के साथ निम्न न्यायालय का पारित आदेश की सत्यापित प्रति जो दिनांक 24 / 02 / 2016 को निर्गत है, संलग्न कर समर्पित किया गया है। साथ ही लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत् कालबाद्ध को क्षान्त हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक ......13/08/16...... को अभिलेख उपस्थापित करें। 18/6/16 उपायुक्त, रामगढ़।	
13/8/16	अपीलार्थी – वकालतन हाजरी आदेश हेतु रखे 13/8/16	
13-08-2016	**– आदेश –** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित अपील आवेदन तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। सुनवाई हेतु वाद अंगीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग करें। अभिलेख दिनांक......24/09/2016......को सुनवाई हेतु उपस्थापित करें। 13/8/16 उपायुक्त, रामगढ़।	454/विधि 24/8/16

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
05/08/2017 09/08/2017	अपीलार्थी — अनुपस्थित विपक्षी — राज्य. पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 6/09/2017 को रखें। (हस्ताक्षर) प्र० 6DS10	
06/9/17	पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 25/10/17 को रखें। (हस्ताक्षर) प्र० 2USI0	
25/10/17	अपीलार्थी — अनुपस्थित। विपक्षी — राज्य आदेश हेतु रखें। (हस्ताक्षर) 25/10/17	
25/10/2017	– आदेश – अपीलार्थी लगातार पिछेल कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। ऐसा प्रति होता है कि अपीलार्थी को वाद की सुनवाई के प्रति रूचि नहीं रह गई है। अतः बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। (हस्ताक्षर) 25/10/17 उपायुक्त, रामगढ़।	699/निर्णि 06/11/17